2007:CGHC:10359

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1328/2003

अपीलार्थी मोतीलाल पिता स्व. परमानंद डनसेना उम्र लगभग 50 वर्ष कृषक, निवासी ग्राम जोरापाली, थाना कोतरा रोड, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-थाना कोतरा रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री जे.के. शास्त्री, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता के साथ, राज्य की ओर से।

मौखिक निर्णय

(24.05.2007)

श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

सुना गया।

1. यह अपील रायगढ़ जिला (छत्तीसगढ़) के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 73/2003 में दिनांक 20-11-2003 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाए जाने पर 7 (सात) वर्ष के कठोर कारावास का दंड तथा 500/- (पाँच सौ) रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है, तथा अर्थदंड के भुगतान न किए जाने की स्थिति में 3 (तीन) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा। तथापि, वर्तमान अपीलार्थी एवं उसके पुत्र रोहितलाल (अभियुक्त) दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोक्त्री श्रीमती गौरी बाई (अ. सा. 15) का विवाह अभियुक्त संख्या 1 रोहितलाल के साथ दिनांक 30.06.2001 को हुआ था। तब से वह अपने पति तथा ससुर (दोनों अभियुक्त व्यक्ति) के साथ ग्राम जोरापाली में उनके घर पर निवास कर रही थी, जो उसके मायके ग्राम औराडा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ उसके माता-पिता निवास करते हैं। उसने दिनांक 03.03.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-8) दर्ज कराई कि विवाह के 6-7 माह पश्चात ही अभियुक्त व्यक्ति दहेज की माँग के लिये उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार कर रहे थे। वे एक कूलर, टीवी और मोटरसाइकिल की माँग कर रहे थे, और इसी बहाने कभी-कभी उसके पति द्वारा उसे पीटा जाता था। उसने यह भी आरोप लगाया कि एक विशेष दिन (किसी गुरुवार को), जब उसके पति अपने काम पर गया हुआ था और वह घर में अकेली भोजन बना रही थी, तब उसके ससुर (वर्तमान अपीलार्थी) उसके पास आए और जबरदस्ती उसे फर्श पर गिराकर जकड लिया। इसके बाद, उसने उसकी साड़ी और पेटीकोट उतार दिया, उसके मुँह को हाथ से दबा दिया, और उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया। जब उसका पति वापस आया, तो उसने उसे यह घटना सुनाई, परन्तु उसने (पति ने) कहा कि वह उसके पिता पर झूठे आरोप लगा रही है। उसने एफआईआर में यह भी उल्लेख किया था कि उसने यह घटना गाँव वालों को भी बताई थी। उसने आगे बताया कि पिछले गुरुवार अर्थात् 27 फरवरी 2003 को, जब उसकी माँ उससे मिलने उसके गाँव आई थी, तो उसने उन्हें भी यह घटना बताई। इसके बाद उसकी माँ अपने गाँव वापस गई और उसने यह घटना उसके पिता तथा अन्य लोगों को बताई। फिर उसके माता-पिता के गाँव के कुछ लोग गाँव जोरापाली आए और वहाँ एक पंचायत बुलाई गई। जब पंचायत में कोई समाधान नहीं निकला, तो उसने दिनांक 30.03.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट पर विवेचना प्रारंभ हुई और अभियोक्त्री को प्र.पी.-10 के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। श्रीमती गौरी बाई (अ. सा. 15) का डॉ. जे. एक्का (अ. सा. 18) द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी. 10-ए) तैयार किया । रिपोर्ट के अनुसार सभी परीक्षण परिणाम सामान्य पाए गए बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय देने में असमर्थता व्यक्त किया गया । पीड़िता की पेटीकोट दिनांक 03.03.2003 को प्र.पी. -12 के अनुसार जब्त किया गया । अपीलार्थी को गिरफ़्तार किया गया। उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्र.पी.-14 के अनुसार भेजा गया जहाँ डॉ. अनिल गुप्ता (अ.सा.19) ने उसका परीक्षण कर रिपोर्ट (प्र.पी -14ए) तैयार किये । इस रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी लैंगिक संभोग हेतु सक्षम पाया गया। घटना स्थल का नक्शा विवेचना अधिकारी द्वारा प्र.पी -7 के अनुसार तैयार किया गया। विवेचना के दौरान विभिन्न बड़े-छोटे बर्तन, घरेलू सामान, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, पोर्टेबल टीवी सेट एवं साइकिल आदि वस्तुएँ जब्त किए गए जिन्हें स्त्रीधन के रूप में अंकित किया गया। नियमित विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त रोहित कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिन्होने प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पित किया और जहां से द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय को यह प्रकरण अंतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत आरोप विरचित किये, साथ ही वर्तमान अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप भी विरचित किया गया । निर्णय में दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दोषमुक्त कर दिया गया। किंतु वर्तमान अपीलार्थी को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया और पूर्ववर्णित दंडादेश दिया गया। इस दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध ही अपीलार्थी ने यह दांडिक अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री गौरीबाई (अ.सा.-15) के साक्ष्य पर आधारित है। सत्र न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वह एक पूर्णतः विश्वसनीय साक्ष्य है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत आरोपों की पुष्टि उचित युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होती है, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री एक अविश्वसनीय साक्षी है और उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि वास्तव में, अभियोक्त्री अपने ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी और चूंकि पति उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहा था, उनके बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इसलिए, अभियोक्त्री ने अपने पति तथा ससुर के विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि साक्षी संख्या 5 संध्या कोका के साक्ष्य के अनुसार, पति-पत्नी के बीच रायगढ़ स्थित पारिवारिक सलाह केंद्र में एक सुलह-कार्यवाही हुई थी, जो विशेष रूप से पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। सुलह के बाद भी जब वे एक नहीं हो सके और संबंध सामान्य एवं बेहतर नहीं हो पाए, तो यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया है। उनका तर्क है कि पक्षकारों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण, अभियोक्त्री के साथ उसके पति और ससुर द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था और अंततः ससुर ने अभियोक्त्री के साथ जबरन लैंगिक संभोग किया, जिसके चलते उसे यह रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। उनका तर्क है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर आधारित यह निर्णय संधार्य है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

8. जहाँ तक अभियोक्त्री (अ.सा.-15) के साक्ष्य का प्रश्न है, उसने अपने बयान के कंडिका 2 में कहा है कि फागुन माह के किसी गुरुवार को लगभग सुबह 9 बजे, जब वह घर पर भोजन बना रही थी और उसका पति काम पर गया हुआ था, तो उसके ससुर ने उसके पास आकर उसकी साड़ी उतार दी और उसे फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद, उसने उसकी पेटीकोट उतार दी और उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया । उसने बयान दिया कि उसने (ससुर ने) इस तरह लगभग आधे घंटे तक संभोग किया और उसके बाद ही उसे छोड़ा।

आगे उसने बयान दिया कि जब उसका पति दोपहर लगभग 1 से 1.30 बजे घर आया, तो उसने उसे यह घटना सुनाई, परन्तु उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पति ने कहा कि वह अपने पिता से पूछेगा और यदि वह इनकार करता है, तो वह उसे (पत्नी को) घर से निकाल देगा। कंडिका 4 के अनुसार उसने यह भी बयान दिया कि उसने यह घटना एक महिला को बताई थी, जो उनके घर के पास रहती है। उसने आगे यह भी बयान दिया कि जब उसकी माँ शिवरात्रि त्योहार से पहले उसके गाँव आई थी, तो उसने यह घटना अपनी माँ को बताई। इसके बाद उसकी माँ वापस गई और यह सारी बात उसके पिता को बताई। उसके पिता कई ग्रामीणों के साथ उसके घर आए ताकि पंचायत बुलाई जा सके, और अंततः पंचायत बुलाई गई । लेकिन जब पंचायत में कोई निर्णय नहीं हो सका, तो उसने थाना में प्रदर्श पी-8 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। कंडिका 15 एवं 22 के अनुसार, उससे कई मुद्दों पर लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया और अंततः यह सामने आया कि घर में दो अन्य सदस्य भी रह रहे थे - उसकी ननद (पति की बहन) और उसका पति। परन्तु निष्कर्ष यह निकला कि वे (ननद व उसका पति) घटना के दिन घर पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे अपने सामान्य कार्य से बाहर गए हुए थे।प्रति परीक्षण के कंडिका 17 पर,उसने एक नया बयान दिया कि जब अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग कर रहा था , तो उसने (अपीलार्थी ने) कपड़े उसके मुँह में ठूँस दिए थे। जब उससे पूछा गया कि एफआईआर या पुलिस बयान में यह विवरण क्यों नहीं दर्ज है, तो उसने कहा कि उसने यह सारी बातें पुलिस को बताई थीं, लेकिन यदि वे एफआईआर या बयान में नहीं हैं, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्त्री की माता हेमबाई का भी अ. सा. - 7के रूप में परीक्षण किया गया। उसने बयान दिया कि अभियुक्तों द्वारा उसकी बेटी से मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर और पंखे आदि की माँग की जा रही थी, जिसकी जानकारी उसे (माता को) उसकी बेटी ने दी थी। कंडिका 3में उसने बताया कि शिवरात्रि से दो दिन पहले जब वह अपनी बेटी के घर गई थी, तो उसने उसे अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना के बारे में भी बताया था। उसने लैंगिक संभोग बनाने के तरीके के बारे में भी बयान दिया और विशेष रूप से उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के मुँह में कपड़े ठूँस दिए थे।

10. अभियोक्त्री के पिता श्यामलाल का अ.सा. 6 के रूप में परीक्षण किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी हेमबाई (अ.सा.7) द्वारा सुनाई गई घटना का समर्थन किया तथा यह भी बयान दिया कि वे गाँव जोरापाली गए थे जहाँ सरपंच आदि को बुलाकर एक पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में उनके साथ उनकी पत्नी तथा अ.सा. 1 बेदराम एवं अ.सा. 2 भोला शंकर भी शामिल हुए थे, किंतु जब पंचायत में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन दोनों साक्षियों (बेदराम एवं भोला शंकर) ने भी बयान दिया कि वे उक्त गाँव गए थे और वहाँ पंचायत बुलाई गई थी।अ.सा. 2 भोला शंकर ने विशेष रूप से बताया कि पंचायत में जब उन्होंने गौरी बाई से पूछा, तो उसने कहा कि उसके ससुर ने उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया था। उनके अनुसार, अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि उस घटना दिन उसके ससुर ने उसके कपड़े उतार दिए, चारपाई पर बैठ गए और फिर उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया । दूसरे साक्षी (अ.सा. 2) ने इस संबंध में अभियोक्त्री द्वारा दिए गए विशिष्ट बयानों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने

इस हद तक घटना का समर्थन किया कि पंचायत में अभियोक्त्री ने बताया था कि उसके ससुर ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया था ।

11. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उपरोक्त वर्णित साक्ष्य के आधार पर, बलात्कार के अपराध से संबंधित कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

12. **पंजाब राज्य बनाम जगीर सिंह बलजीत सिंह और करम सिंह एवं अन्य (1974) 3 एससीसी 277** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई भी दांडिक मुकदमा कोई काल्पनिक कथा नहीं होती जहाँ मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत किये जा सकें। न्यायालय का प्राथमिक दायित्व यह निर्धारित करना है कि अभियुक्त उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है। अपराध वास्तविक जीवन की वह घटना है जो विभिन्न मानवीय भावनाओं की परस्पर अंतर्क्रिया का परिणाम होती है। अभियुक्त के दोषसिद्धि के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन संभाव्यता के मापदण्ड, साक्ष्य के आन्तरिक मूल्य तथा साक्षियों के आशय के आधार पर करना चाहिए। प्रत्येक मामले का निर्णय अन्ततः उसके स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रत्येक मामला अंततः अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। यद्यपि अभियुक्त को हर युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, किन्तु न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य को केवल काल्पनिक या अनुमान आधारित आधारों पर खारिज नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से विश्वसनीय हो।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. इस निर्णय को संदर्भित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज एवं अन्य (2000) 1 एससीसी 247** के मामले में आगे अभिनिर्धारित किया कि किसी दांडिक विचारण की तुलना स्टंट फिल्म के किसी काल्पनिक दृश्य से नहीं की जा सकती। दांडिक मुकदमे का संचालन अभियुक्त के दोष या निर्दोषिता को निर्धारित करने हेतु किया जाता है। सत्य तक पहुँचने के लिए, न्यायालयों को तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन उसके आंतरिक मूल्य और साक्षियों के आशय के आधार पर करना आवश्यक है। न्यायालयों को अतिसूक्ष्म तकनीकीताओं या कल्पना की उड़ानों द्वारा अपने उस दायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों, पीड़ित और अभियुक्त की सामाजिक स्थिति, समाज के व्यापक हितों - विशेषकर कानून-व्यवस्था की समस्या और वर्तमान व्यवस्था में निहित जीवन-मूल्यों के ह्रास को दृष्टिगत रखते हुए, किसी विशेष परिस्थिति के अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना आवश्यक है। सत्य तक पहुँचने के लिए साक्ष्य की समझ बनाते समय जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। न्यायालयों पर न तो अभियोजन को छूट देने का और न ही अभियुक्त के पक्ष में विधि को शिथिलता से व्याख्यायित करने का कोई दायित्व है। दांडिक विचारण में न्याय प्रशासन हेतु पारंपरिक हठधर्मी एवं अतिसूक्ष्म तकनीकी दृष्टिकोण को एक तार्किक, यथार्थवादी और वास्तविक दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। आपराधिक न्यायशास्त्र को कोई काल्पनिक विचार न मानकर, मानव सभ्यता और जीवन की वास्तविकताओं का अभिन्न अंग समझना चाहिए। न्यायालय वर्तमान व्यवस्था की सामान्य विशेषता रहे जीवन-मूल्यों के

क्षरण को अनदेखा नहीं कर सकते। समाज और मानवता को प्रदूषित करने वाले दोषी व्यक्तियों को ऐसे क्षरण के आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

14. जहां तक बलात्कार पीड़िता के संबंध में स्थापित सिध्दांत यह है कि जब अभियोक्त्री का बयान न्यायालय का विश्वास अर्जित कर लेती है और न्यायालय उसकी गवाही पर निर्भर रहना उचित समझता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी की जा सकती है, बिना किसी संम्पोषक साक्ष्य की आवश्यकता के। एकाकी साक्षी के बयान से संबंधित यह सिद्धांत बलात्कार की पीड़िता पर समान रूप से लागू होता है कि न तो विधायिका और न ही न्यायपालिका यह अनिवार्य करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार अभिनिर्धारित किया है, हमारी विधिक प्रणाली सदैव साक्ष्यों की संख्या, बहुलता या अधिकता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, भार और गुणवत्ता पर बल देती है। अर्थात्, अभियोक्त्री के बयान पर निर्भर रहने और उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने से पूर्व, उसका बयान न्यायालय का विश्वास अर्जित करना चाहिए। यदि न्यायालय उसके साक्ष्य और आचरण का परीक्षण करने के पश्चात् ऐसा विश्वास प्राप्त कर लेता है, तो बिना किसी सम्पोषक साक्ष्य के भी दोषसिद्धि संभव है। इसके विपरीत, यदि वह न्यायालय का विश्वास अर्जित नहीं कर पाती और यहाँ तक कि सहायक साक्ष्यों के बावजूद भी ऐसा विश्वास तर्कसंगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो सहायक साक्ष्यों की सहायता से भी उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान मामले में, यदि हम अभियोक्त्री के आचरण का परीक्षण करें, तो यह प्रतीत होता है कि जिस घटना की जानकारी उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से बहुत पहले होने का उल्लेख किया है, उसकी रिपोर्ट उसने लंबे समय तक दर्ज नहीं कराई। इतनी बड़ी घटना के लिए भी उसने अपने माता-पिता को, जो उसके ससुराल से मात्र 5 कि.मी. की दूरी पर रहते थे, कोई सूचना नहीं भेजी। अभियोक्त्री ने अपने बयान में तथा एफआईआर में यह उल्लेख किया है कि घटना के तुरंत बाद उसने यह घटना एक महिला को बताई थी, जो उसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उस महिला को साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया और न ही विवेचना अधिकारी ने उस महिला का पता लगाने का कोई प्रयास किया, जिसे यह घटना सबसे पहले बताई गई थी। इस संबंध में, अभियोजन पक्ष ने यशोदा बाई (अ.सा. 17) का परीक्षण किया था, जो पूर्णतः पक्षद्रोही हो गईं और अभियोक्त्री के बयान का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कंडिका -1 में बयान दिया कि गाँव में केवल एक ही बोरिंग हैंडपंप है, जो उनके घर के आँगन में स्थित है, और अभियोक्त्री सहित लगभग सभी ग्रामीण उस पंप से पानी लेने आते थे, लेकिन अभियोक्त्री ने कभी भी उन्हें इस कथित घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने सभी सवालों को नकार दिया, जिसमें अभियोक्त्री के ससुर द्वारा लैंगिक संभोग किये जाने के तथ्य का खुलासा करने संबंधी प्रश्न भी शामिल थे। यह अभियोक्त्री के आचरण का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि यदि वह वास्तव में सुबह लगभग 9-9:30 बजे अपने ससुर द्वारा उन्हीं के घर में बलात्कार की

शिकार हुई थी, तो उसे तत्काल चिल्लाने-चीखने से किसने रोका? अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि उसे ससुर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धमकाया गया था, जिसके कारण वह चुप रही और लैंगिक संभोग समाप्त होने के बाद भी उसने कोई शोर नही मचाया । यह आचरण ससुर और बहू के बीच संबंधों के संदर्भ में अप्राकृतिक प्रतीत होता है। हमारे समाज में, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग में, ससुर को पिता का दर्जा प्राप्त होता है। यदि वर्तमान अपीलार्थी जैसे परिवार में इतनी बड़ी घटना घटित हुई होती, तो सामान्य और प्राकृतिक परिस्थितियों में पीड़िता द्वारा तत्काल प्रतिरोध किया जाना चाहिए था और उसी दिन ससुर के विरुद्ध आरोप लगाते हुए पीड़िता पक्ष से स्पष्ट प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी - यदि वास्तव में ऐसी घटना घटित हुई होती। इस साक्ष्य या आचरण के अतिरिक्त, यदि हम लैंगिक संभोग स्थापित करने के तरीके को देखें, तो इसमें अनेक विसंगतियाँ हैं। प्रारंभ में, अभियोक्त्री ने कहा था कि लैंगिक संभोग रसोईघर में किया गया जहाँ वह भोजन बना रही थी, उसे जबरन फर्श पर गिरा दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और संभोग किया गया। यही बात एफआईआर में उल्लिखित थी, किंतु न्यायालयीन बयान (कंडिका 17) में उसने कपड़े मुँह में ठूँसने की नई कहानी गढ़ी जो एफआईआर में पूर्णतः अनुपस्थित है। एफआईआर के अनुसार, उसके मुँह को हाथ से दबाया गया था। इसके अतिरिक्त, घटनास्थल के संबंध में भी गंभीर अंतर है जिसका उल्लेख उसने अपने साक्ष्य, एफआईआर और अंततः ग्राम पंचायत में किया। जैसा कि ऊपर कहा गया, अभियोक्त्री के अनुसार घटनास्थल रसोईघर था, जबकि अ.सा.-1 (जो पंचों में से एक और उसके पिता के गाँव का निवासी था) के साक्ष्य में यह बात सामने आती है कि ससुर ने चारपाई पर लैंगिक संभोग किया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह न्यायालय उस विधिक सिद्धांत से अवगत है जो यह निर्दिष्ट करता है कि छोटी -छोटी विसंगतियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। ऐसी विसंगतियाँ जो मामले के मूल तथ्यों को प्रभावित नहीं करतीं और साक्षियों के मूल बयान को हिला नहीं पातीं, उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। विशेषकर तब, जब सभी महत्वपूर्ण "अधिसंभाव्य-कारक" (probabilities-factor) साक्षियों द्वारा वर्णित कथन के पक्ष में हों। किंतु वर्तमान मामले में, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि ये मामूली विसंगतियाँ नहीं हैं जिन्हें केवल इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सके कि अभियोक्त्री एक कथित बलात्कार पीड़िता है और उसके साक्ष्य को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। वर्तमान जैसे मामले में, जब ससुर के विरुद्ध आरोप बहुत लंबे समय के बाद लगाया जा रहा है - जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है - और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्पोषक साक्ष्य अभियोक्त्री के बयान की पुष्टि नहीं करते, तो ऐसी विसंगतियाँ कम से कम अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए तो अवश्य ही सार्थक हैं कि क्या वह सत्य कथन कर रही है अथवा मिथ्या। इस संबंध में, ग्राम सरपंच नगेंद्र नेगी जिन्हें अ.सा.4 के रूप में पेश किया गया का बयान भी महत्वपूर्ण है। अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया, किंतु उन्होंने बयान दिया कि वास्तव में उन्हें पंचायत में इस आधार पर बुलाया गया था कि अपीलार्थी के परिवार और अभियोक्त्री के परिवार के बीच कोई पारिवारिक विवाद है जिसका समाधान करना है। उन्होंने कंडिका 2 में बयान दिया कि अभियोक्त्री के पिता ने कहा था कि वह वास्तव में अपने दामाद को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और अंततः पंचायत को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बयान नहीं दिया कि

अभियोक्त्री अपने ससुर द्वारा लैंगिक संभोग किये जाने की शिकायत कर रही थी। मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जो काफी आश्चर्यजनक है, यह है कि दिनांक 04.03.2003 को विवेचना के दौरान, पुलिस द्वारा प्र.पी.-1 में शामिल विभिन्न घरेलू सामान जैसे बड़े-छोटे बर्तन, फर्नीचर, टीवी आदि के साथ-साथ एक साइकिल भी जब्त की गई थी। इन सभी वस्तुओं को स्त्रीधन बताते हुए, जब्ती पत्रक के निचले भाग में केवल एक पंक्ति का नोट लिखकर जब्त किया गया था। **यह न केवल आश्चर्यजनक बल्कि चौंकाने वाला है कि जब पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय एक गंभीर अपराध की विवेचना कर रही थी, और धारा 498-ए का अपराध गौण था, तब उन्होंने धारा 376 की विवेचना को पूरी तरह छोड़कर, धारा 498-ए के आधार पर विवेचना की दिशा बदल दी और अपने विवेक में,घरेलू सामान की जब्ती जैसे कदम उठाए।** राज्य पक्ष के विद्वान उप महाधिवक्ता ने भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवेचना अधिकारी (I.O.) की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया जो वह स्पष्ट नहीं कर पाए कि इस प्रकार की जब्ती की आवश्यकता क्यों थी। यह सब इस ओर संकेत करता है कि वास्तव में पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद था, संभवतः एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में सामान्य विवाद, जिसके कारण पक्षकारों ने रायगढ़ स्थित पारिवारिक सहायता केंद्र का सहारा लिया। अ.सा. 5 संध्या कोका के बयान से स्पष्ट है कि यह विवाद एक बार सुलझा लिया गया था, लेकिन जब यह अंततः सुलझ नहीं पाया, तो इसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने अपने ससुर के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अभियोक्त्री द्वारा इस मामले में प्रस्तुत किया गया बयान वास्तव में इस न्यायालय का विश्वास अर्जित करने में असमर्थ है, जिससे कि उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सके और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सके। इस न्यायालय की राय में, सत्र न्यायालय ने विधिक त्रुटि करते हुए अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विश्वास किया और अपीलार्थी को उसके ऐसे साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया।

18. परिणामतः यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को यहाँ अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी दिनांक 04.03.2003 से कारावास में है; यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur